भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2101

12 मार्च, 2025 को उत्तर देने के लिए

"सेवा में व्यवधान" के कारण महिला वैज्ञानिकों के समक्ष आने वाली समस्याएं

†2101. डॉ. भोला सिंह:

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने महिला वैज्ञानिकों को "सेवा में व्यवधान" के कारण होने वाली समस्या का समाधान करने के लिए कदम उठाए हैं:

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत पांच वर्षों के दौरान लाभार्थियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): जी, हाँ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) महिला वैज्ञानिकों की "सेवा में व्यवधान" के परिणामस्वरूप होने समस्याओं का समाधान करने और स्टेम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरी और गणित) क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी को सुदृढ़ करने के लिए व्यापक पहल, विज्ञान और इंजीनियरी में महिला-किरण (वाइज-किरण) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस पहल में कई कार्यक्रम शामिल हैं जो कैरियर के विभिन्न चरणों में स्टेम में महिलाओं के लिए अवसर प्रदान करते हैं। विभाग ने महिला वैज्ञानिक योजना (डबल्यूओएस) को क्रियान्वित किया, जिसमें तीन कार्यक्रम: बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञानों में अनुसंधान के लिए डबल्यूओएस-क, सामाजिक हित के लिए प्रयोगशाला से धरातल तक अंतरणात्मक अनुसंधान के लिए डबल्यूओएस-ख और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) में प्रशिक्षण के लिए डबल्यूओएस-ग शामिल किए गए। तृतीय पक्ष की समीक्षा के बाद, इन कार्यक्रमों को वाइज़-किरण के तहत चार नई पहलों में पुनर्गठित किया गया है। पीएचडी के लिए वाइज़ फेलोशिप (वाइज़-पीएचडी) कार्यक्रम बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञान में डॉक्टरल अनुसंधान करने वाली महिलाओं को सहायित करता है। 27 और 45 वर्ष की आयु के बीच की महिला वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् इस अवसर के लिए पात्र हैं। वाइज़ पोस्ट-डॉक्टरल फेलोशिप (वाइज़-पीडीएफ़) और वाइज़-सामाजिक अवसरों सहित चुनौतियां (वाइज़-स्कोप) कार्यक्रम

महिलाओं को स्टेम में क्रमशः प्रयोगशाला आधारित बुनियादी/अनुप्रयुक्त या प्रयोगशाला से धरातल तक अंतरणात्मक अनुसंधान करने के अवसर प्रदान करते हैं। वाइज़-पीडीएफ़ बुनियादी और अनुप्रयुक्त विज्ञानों में प्रयोगशाला-आधारित अनुसंधान पर केंद्रित है, जबकि वाइज़-स्कोप अंतरणात्मक अनुसंधान को सहायित करता है जो सामाजिक चुनौतियों का समाधान करता है। दोनों कार्यक्रम 27 से 60 वर्ष की आयु की महिला वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों के लिए उपलब्ध हैं जो अपना अनुसंधान करियर जारी रखना चाहती हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार में वाइज़ इंटर्नशिप (वाइज़-आईपीआर) कार्यक्रम बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करता है, जिसका लक्ष्य इस क्षेत्र में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 25 और 45 वर्ष की आयु के बीच की महिलाएं इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकती हैं। डीएसटी विदुषी कार्यक्रम को भी लागू कर रहा है, जो वरिष्ठ महिला वैज्ञानिकों की दो श्रेणियों: 57 और 62 वर्ष की आयु के बीच की सेवानिवृत्त महिला वैज्ञानिक और 45 से 62 वर्ष की आयु के भीतर नियमित रोजगार में नहीं रहने वाली महिला वैज्ञानिकों को सहायित करता है यह कार्यक्रम उन्हें वैज्ञानिक प्रगति में योगदान जारी रखना अनुमत करता है।

जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने वर्ष 2011 में एक विशेष योजना "जैव प्रौद्योगिकी कैरियर उन्नति और पुन: अभिमुखीकरण (बायोकेयर)" शुरू की थी, जिसका उद्देश्य जैव प्रौद्योगिकी और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए भारत में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी को बढ़ाना था। यह उन महिला शोधकर्ताओं, जिनके करियर में व्यवधान आ गया था, को भी एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, ताकि उन्हें मुख्यधारा के अनुसंधान में पुनः प्रवेश करने में मदद मिल सके तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जा सके परिणामस्वरूप उनके समग्र करियर विकास में सहायता मिल सके।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान डीएसटी-वाइज़-किरण और डीबीटी-बायोकेयर योजनाओं के लाभार्थियों का राज्यवार विवरण नीचे दिया गया है।

डीएसटी-वाइज़-किरण योजना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	**वित्त वर्ष** 2020-21	**वित्त वर्ष** 2021-22	**वित्त वर्ष** 2022-23	**वित्त वर्ष** 2023-24	**वित्त वर्ष** 2024-25
आंध्र प्रदेश	4	4	2	4	5
अंडमान और निकोबार	1	0	0	0	0
असम	5	1	5	3	17

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
बिहार	1	1	1	0	0
चंडीगढ़	2	0	9	1	9
छत्तीसगढ़	3	1	0	0	3
दिल्ली	19	16	26	24	52
गोवा	0	2	0	0	3
गुजरात	5	0	4	7	9
हरियाणा	4	4	2	3	11
हिमाचल प्रदेश	3	1	1	0	4
जम्मू और कश्मीर	5	0	11	6	17
झारखंड	0	1	3	1	2
कर्नाटक	15	7	16	11	24
केरल	10	16	19	6	36
मध्य प्रदेश	7	4	3	1	16
महाराष्ट्र	31	14	20	11	41
मणिपुर	3	0	2	1	2
मिजोरम	0	0	0	3	4
नागालैंड	0	0	1	2	0
उड़ीसा	1	3	4	1	10
पुडुचेरी	2	0	1	0	2
पंजाब	8	1	12	8	16
राजस्थान	3	3	5	4	9
सिक्किम	0	0	1	0	1
तमिलनाडु	17	14	20	18	39
तेलंगाना	13	3	19	12	34
त्रिपुरा	0	0	0	0	3
उत्तर प्रदेश	20	9	17	16	44
उत्तराखंड	9	3	2	3	13
पश्चिम बंगाल	12	7	16	14	34

डीबीटी- बायोकेयर योजना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	वित्त वर्ष 2020-21	वित्त वर्ष 2021-22	वित्त वर्ष 2022-23	वित्त वर्ष 2023-24	वित्त वर्ष 2024-25
आंध्र प्रदेश	1	1	0	0	0
असम	1	1	0	0	0
बिहार	2	0	0	0	0
चंडीगढ़	1	0	0	0	0
गोवा	00	1	0	0	0
गुजरात	0	0	0	0	0
हरियाणा	3	1	0	1	1
जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	0
झारखंड	2	0	0	0	0
कर्नाटक	3	2	1	5	5
केरल	1	2	0	3	3
मध्य प्रदेश	1	0	0	2	2
महाराष्ट्र	3	4	1	6	8
मणिपुर	0	1	0	2	1
मिजोरम	0	0	0	1	1
नई दिल्ली	12	13	2	12	10
उड़ीसा	1	1	0	0	0
पंजाब	1	3	0	6	5
राजस्थान	1	0	0	0	0
तमिलनाडु	3	2	0	7	6
तेलंगाना	2	1	0	4	4
उत्तर प्रदेश	3	1	0	6	6
उत्तराखंड	2	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	1	2	0	4	3

*****